

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/का.भी.मे./छा.स्कूटी/2020-21/108


दिनांक- 18/06/2021

समस्त जिला कलक्टर,  
राजस्थान

विषय :-कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत स्कूटियों के रजिस्ट्रेशन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषण अनुरूप महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाना है। इस हेतु योजना के नियमों के अनुरूप छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर वरीयता सूची उपरान्त स्कूटी का क्रय आदेश जारी कर दिया गया है। आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा सम्बन्धित जिलों में स्कूटी डीलर्स के पास संग्रहित की गई है।

अतः जिला पूल में कार्यरत तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करावे कि महाविद्यालयों में प्राप्त स्कूटियों का तकनीकी निरीक्षण कर आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें जिससे की माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अनुरूप स्कूटियों का वितरण सुचारु रूप से समय पर हो सकें।

  
(संदेश नायक, I.A.S.)  
आयुक्त


कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/का.भी.मे./छा.स्कूटी/2020-21/109-111 दिनांक- 18/06/2021  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वरीयता सूची अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सैकण्ड्री की मूल अंकतालिका व अन्य वांछित मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2019-20 में उक्त छात्रा ने स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन करते हुए निर्धारित परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो। प्राप्त स्कूटियों का जिला पूल के तकनीकी कार्मिक से निरीक्षण करा कर, स्टॉक एन्ट्री करे। कम्पनी द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा के नाम से प्रथम पंजीयन (आर.सी) को उपलब्ध कराने पर महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर छात्रा के नाम हस्तांतरण करावे तत्पश्चात् छात्रा को स्कूटी सुपुर्द कर उनसे प्राप्ति रसीद लेकर, उस पर छात्रा के पिता/अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर करा कर, अपने प्रतिहस्ताक्षर कर रिकार्ड में रखे तथा उसकी एक प्रमाणित फोटो प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। छात्रा के नाम हस्तांतरण पर होने वाली व्यय राशि के पूर्णभरण हेतु आयुक्तालय को बिल प्रेषित करे।

2. M/s. TVS Motor Company Ltd. Chaitanya, No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam Chennai, 600006, Tamilnadu को पत्र दिनांक 11.06.2021 के क्रम में।

3. प्रभारी वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
(एच.आर.पवार)  
वित्तीय सलाहकार

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/का.भी.मे./छा.स्कूटी/2020-21/104

दिनांक- 18/06/2021

आयुक्त,

परिवहन विभाग

राजस्थान, जयपुर


विषय :-कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत स्कूटियों के रजिस्ट्रेशन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषण अनुरूप महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाना है। इस हेतु योजना के नियमों के अनुरूप छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर वरीयता सूची उपरान्त स्कूटी का क्रय आदेश जारी कर दिया गया है। आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा सम्बन्धित जिलों में स्कूटी डीलर्स के पास संग्रहित की गई है।

आपूर्ति कम्पनी द्वारा स्कूटियों का टेण्डर की शर्तों के अनुरूप बीमा (एक वर्ष का काम्प्रेहनिंसिव, एवं पाँच वर्ष का थर्ड पार्टी) कराकर प्रथम पंजीयन आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से कराकर सम्बन्धित महाविद्यालयों को सुपुर्द की जावेगी।

सम्बन्धित प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी को उपरोक्तानुसार स्कूटी प्राप्त होने पर प्रथम पंजीयन छात्रा के नाम हस्तान्तरण कराकर स्कूटी वितरण की जावेगी।

अतः आपके अधीनस्थ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित करें कि प्रथम पंजीयन उपरान्त छात्रा के नाम हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र करावें जिससे कि बजट घोषणा अनुरूप स्कूटियों का समयबद्ध सुचारु रूप से वितरण किया जा सके।

  
(संदेश नायक, I.A.S.)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/का.भी.मे./छा.स्कूटी/2020-21/105-107 दिनांक- 18/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वरीयता सूची अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सैकण्ड्री की मूल अंकतालिका व अन्य वांछित मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2019-20 में उक्त छात्रा ने स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन करते हुए निर्धारित परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो। प्राप्त स्कूटियों का जिला पूल के तकनीकी कार्मिक से निरीक्षण करा कर, स्टॉक एन्ट्री करे। कम्पनी द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा के नाम से प्रथम पंजीयन (आर.सी) को उपलब्ध कराने पर महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर छात्रा के नाम हस्तांतरण करावे तत्पश्चात् छात्रा को स्कूटी सुपुर्द कर उनसे प्राप्ति रसीद लेकर, उस पर छात्रा के पिता/अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर करा कर, अपने प्रतिहस्ताक्षर कर रिकार्ड में रखे तथा उसकी एक प्रमाणित फोटो प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। छात्रा के नाम हस्तांतरण पर होने वाली व्यय राशि के पूर्णभरण हेतु आयुक्तालय को बिल प्रेषित करे।

2. M/s. TVS Motor Company Ltd. Chaitanya, No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam Chennai, 600006, Tamilnadu को पत्र दिनांक 11.06.2021 के क्रम में।

3. प्रभारी वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
(एच.आर.पवार)  
वित्तीय सहायक

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/का.भी.मे./छा.स्कूटी/2020-21/112

दिनांक-18/06/2021

नियन्त्रक,

मोटर गैराज

राजस्थान, जयपुर

विषय :-कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी/वेवनारायण छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत स्कूटियों के रजिस्ट्रेशन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषण अनुरूप महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाना है। इस हेतु योजना के नियमों के अनुरूप छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर वरीयता सूची उपरान्त स्कूटी का क्रय आदेश जारी कर दिया गया है। आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा सम्बन्धित जिलों में स्कूटी डीलर्स के पास संग्रहित की गई है।

अतः समस्त जिलों में कार्यरत तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करावें कि महाविद्यालयों में प्राप्त स्कूटियों का तकनीकी निरीक्षण कर आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें जिससे की माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अनुरूप स्कूटियों का वितरण सुचारु रूप से समय पर हो सकें।



(संदेश नायक, I.A.S)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक:एफ 23(16)लेखा/आकाशि/का.भी.मे./छा.स्कूटी/2020-21/113-115 दिनांक-18/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वरीयता सूची अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सैकण्ड्री की मूल अंकतालिका व अन्य वांछित मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2019-20 में उक्त छात्रा ने स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन करते हुए निर्धारित परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो। प्राप्त स्कूटियों का जिला पूल के तकनीकी कार्मिक से निरीक्षण करा कर, स्टॉक एन्ट्री करे। कम्पनी द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा के नाम से प्रथम पंजीयन (आर.सी) को उपलब्ध कराने पर महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर छात्रा के नाम हस्तांतरण करावे तत्पश्चात् छात्रा को स्कूटी सुपुर्द कर उनसे प्राप्ति रसीद लेकर, उस पर छात्रा के पिता/अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर करा कर, अपने प्रतिहस्ताक्षर कर रिकार्ड में रखे तथा उसकी एक प्रमाणित फोटो प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। छात्रा के नाम हस्तांतरण पर होने वाली व्यय राशि के पुर्नभरण हेतु आयुक्तालय को बिल प्रेषित करे।

2. M/s. TVS Motor Company Ltd. Chaitanya, No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam Chennai, 600006, Tamilnadu को पत्र दिनांक 11.06.2021 के क्रम में।

3. प्रभारी वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
(एच.आं.प्रवार)  
वित्तीय सहायकार